

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 17/2014


RCMS Sacc No. 2014/00160

सायल :-	बनाम	गैरसायल:-
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		कन्हैयालाल पुत्र झूमरलाल जाति सिन्धी निवासी सिन्धी कॉलोनी, रामदेव रोड़, पाली पुलिस थाना कोतवाली, पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :

सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली  
गैरसायल उपस्थित।



:: निर्णय ::

दिनांक :- 31/01/2014

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 13.03.2014 को गैरसायल कन्हैयालाल पुत्र झूमरलाल जाति सिन्धी निवासी सिन्धी कॉलोनी, रामदेव रोड़, पाली के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली, पाली का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2003 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। समस्त प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	थाना	मु.नं./दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय
1	कोतवाली	73/30.01.2003	341, 336, 323 IPC	दि० 13.12.2006 को एसीजेएम कोर्ट पाली से दोषमुक्त
2	कोतवाली	138/08.03.2003	341, 147, 323 IPC	दि० 02.05.2005 को एसीजेएम (सीआर) पाली द्वारा धारा 3 पीओ एक्ट के तहत समयक भ्रतसना
3	कोतवाली	548/16.10.03	143, 341, 324, 323 IPC	दि० 15.11.03 को धारा 3 पीओ एक्ट के तहत समयक भ्रतसना
4	कोतवाली	625/29.09.04	341, 325 IPC	जैर ट्रायल
5	कोतवाली	465/16.10.06	13 RPGO	सीजेएम पाली से जुर्माना
6	कोतवाली	457/26.10.08	4/25 आर्म्स	दि० 03.08.2009 को 4 पीओ एक्ट के तहत एक वर्ष

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

			एक्ट	के लिए पाबन्द
7	कोतवाली	61/14.02.2010	13 RPGO	दि० 24.02.2010 को सीजेएम पाली से 100 रुपये जुर्माना
8	औ० क्षेत्र	32/25.02.2010	13 RPGO	सीजेएम कोर्ट, पाली से जुर्माना
9	कोतवाली	12/05.01.2011	13 RPGO	दि. 28.01.11 को एसीजेएम कोर्ट, पाली से 100/- रुपये जुर्माना
10	कोतवाली	64/31.01.2011	457, 380 IPC	जैर ट्रायल
11	कोतवाली	74/04.02.2011	13 RPGO	जैर ट्रायल
12	कोतवाली	473/22.10.2012	13 RPGO	दि० 28.01.2011 को सीजेएम कोर्ट, पाली से 100/- रुपये जुर्माना
13	कोतवाली	485/03.11.2012	13 RPGO	जैर ट्रायल
14	कोतवाली	534/07.09.2013	4/25 आर्म्स एक्ट	जैर ट्रायल

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल कन्हैयालाल पुत्र झूमरलाल जाति सिन्धी निवासी सिन्धी कॉलोनी, रामदेव रोड़, पाली बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृत्ति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। गैरसायल ने उक्त परिवाद का कोई जवाब नहीं दिया तथा न ही कोई शहादत सूची प्रस्तुत की।

ए०पी०पी० एवं गैरसायल की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली का अब्बल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरुद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरुद्ध सूचना देने में भी कतराते हैं, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः



धरिन्द्रा जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल को न्यायालय द्वारा परीविक्षा का लाभ दिया गया है तथा गैरसायल किसी भी रूप में जुए का धन्धा नहीं करता है। गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासा दायर करने से छह माह पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण गैरसायल गुण्डा एक्ट की परिधी में नहीं आता है। अतः कार्यवाही निरस्त करावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 61/2010 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2010 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100 रुपये के जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 55/2011 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100 रुपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 129/2011 में पारित निर्णय दिनांक 17.03.2011 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अध्यादेश 1949 की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100 रुपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल कन्हैयालाल पुत्र झूमरलाल जाति सिन्धी निवासी सिन्धी कॉलोनी, रामदेव रोड़, पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली पाली से निष्काषित कर जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा निर्धारित थाने में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा तथा इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल कन्हैयालाल, इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रुपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। गैरसायल को आदेश दिये जाते हैं कि वह तत्काल पाली जिला छोड़कर जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा निर्धारित थाने से सम्बन्धित थानाधिकारी गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय



अधीक्षक जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी कोतवाली पाली, जिला पाली एवं जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर को भिजवाई जावे।



(भागीरथ बिश्नोई)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली